न्यायालयः अपर सेशन न्यायाधीश संख्या– 03, भीलवाड़ा (राज0)
लिंक न्यायालय–अपर सेशन न्यायाधीश संख्या–02 भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी : नगेन्द्र सिंह
आर.जे.एस. (डी.जे.कैडर)

विविध आपराधिक प्र0 सं0 794/2026

लखन बारेठ पुत्र शिवराज बारेठ उम्र 29 वर्ष निवासी श्यामपुरा थाना माण्डलगढ़ भीलवाड़ा (राज0)

— प्रार्थी/ अभियुक्त

ब ना म

राजस्थान राज्य जरिए विशिष्ठ लोक अभियोजक, भीलवाड़ा

—— विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 483 बी.एन.एस.एस.
प्र.सू.रि.सं.– 150/2026 थाना बिजौलिया, भीलवाड़ा
अपराध धारा– 64(1),308(2) भारतीय न्याय संहिता

उपस्थित :
सुश्री सरिता स्वर्णकार एवं : अधिवक्तागण वास्ते प्रार्थी/अभियुक्त
श्री प्रदीप कुमार शर्मा
अपर लोक अभियोजक : वास्ते राज्य

आदेश **दिनांक : 25–06–2026**

01– प्रार्थी/अभियुक्त लखन बारेठ पुत्र शिवराज बारेठ की ओर से जमानत का यह प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस के तहत अधिवक्ता सुश्री सरिता स्वर्णकार ने श्रीमान् सेशन न्यायाधीश महोदय, भीलवाडा के समक्ष पेश किया। नकल विद्वान लोक अभियोजक को दिलवायी जाकर अनुसंधान पत्रावली तलब की गई । तत्पश्चात यह जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई हेतु अन्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। पीठासीन अधिकारी के शिविर न्यायालय में होने से यह जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई हेतु मेरे समक्ष पेश हुआ। अनुसंधान पत्रावली पेश हुई। बहस जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनी गई।

02– विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का दौराने बहस जमानत

अपर सेशन न्यायाधीश
संख्या 03, भीलवाड़ा

प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन रहा हैं कि प्रार्थी–अभियुक्त को ब्लेकमेल कर नाजायज राशि ऐंठने की गरज से झूंठी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। प्रार्थी–अभियुक्त नवयुवक होकर अविवाहित है एवं उसके जेल जाने से उसके भविष्य पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ेगा व उसके विवाह में बाधा उत्पन्न होने की संभावना है। प्रार्थी–अभियुक्त का घटना से कोई सरोकार नहीं है तथा उसे गलत एवं झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी–अभियुक्त के पास पीड़िता के कोई अश्लील फोटो व विडियों नहीं है। प्रार्थी–अभियुक्त मौतबीर व्यक्ति है जिसके कहीं फरार होने अथवा गवाहान को डराने धमकाने का अंदेशा नहीं है और वह न्यायालय श्रीमान के आदेशानुसार जमानत मुचलके पेश करने हेतु तैयार है। अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत की सुविधा प्रदान किए जाने का निवेदन किया :–

1– एसबी क्रिमीनल मिसलेनियस बेल एप्लीकेशन नंबर–880/26 अनिल सोनी बनाम राजस्थान राज्य, में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधुपर द्वारा पारित आदेश दिनांकित– 06 फरवरी,2026

2– एसबी क्रिमीनल अपील (एसबी) नंबर–984/2024, श्रवणराम बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधुपर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.06.2024

3– क्रिमीनल अपील नंबर–1165/2019 (एसएलपी क्रिमी. नंबर 2712/ 2019) प्रमोद सूर्यभान पंवार बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 07 फरवरी,19 को पारित आदेश

4– क्रिमीनल अपील नंबर–1443/2018 (एसएलपी क्रिमी. नंबर–6532/2018) ध्रुवराम मुरलीधर सोनार बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 22.11.2018 को पारित आदेश

03– इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का

अपर सेशन न्यायाधीश
संख्या 03, भीलवाड़ा

विरोध करते हुए तर्क दिया कि प्रार्थी/अभियुक्त पर पीड़िता के साथ जबरन यौन संबंध बनाने एवं पीड़िता को अश्लील फोटो व विडियों के आधार पर ब्लेकमेल करने का गंभीर आरोप है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

04– उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया। अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया गया।

05– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 08.06.2026 को पीड़िता **एम** द्वारा अभियुक्त लखन के विरूद्ध एक टाईपशुदा रिपोर्ट पुलिस थाना बिजौलिया जिला भीलवाड़ा पर इस आशय की पेश की गई कि उसके ससुराल के सामने अभियुक्त के रिश्तेदार का घर होने से अभियुक्त वहां आता रहता है इसलिये वह अभियुक्त से तीन वर्ष से परिचित है। करीब तीन वर्ष पूर्व अभियुक्त ने किसी से उसके मोबाईल नंबर मांग कर उसे फोन किया तो जान–पहचान होने से वह उससे बात करने लग गई। उसके कुछ दिन बाद अभियुक्त उसे तिलस्वां मिल गया और अपने साथ उसके फोटो खिंच लिये और फिर अभियुक्त ने उसे फोन कर अकेले में मिलने हेतु कहा तो उसने मना कर दिया तो अभियुक्त ने उसके साथ के फोटो सोशल मिडिया,ससुराल व परिवार वालों को डालकर बदनाम करने की धमकी दी तो वह उससे मिलने तिलस्वां चली गई वहां पर उसने उसके साथ खोटा काम (बलात्कार) किया और अश्लील फोटो व विडियो बना लिये और उसे ब्लेकमेल करते हुई कई बार उसके साथ खोटा काम किया और उसे ब्लेकमेल कर उससे पचास हजार रूपये व एक 16 हजार रूपये का मोबाईल ले चुका है। अभियुक्त उसे फोन करके परेशान करता रहता है। वह उसका फोन नहीं उठाती तो अभियुक्त उसके पति को फोन कर उसके अश्लील फोटो व विडियों वायरल करने की धमकी देता। जनवरी,2026 में अभियुक्त उसके घर में जबरदस्ती घुस गया और उसकी बहिन ने घरवालों को बुलाने की बात कही तो अभियुक्त वहां से भाग गया । अभियुक्त ने तीन साल से उसका व उसके परिवार का जीना हराम कर रखा है और उसका शोषण कर रहा है और अभियुक्त उससे एक लाख रूपये की मांग कर रहा है तथा अभियुक्त कभी

सेशन न्यायाधीश भीलवाड़ा (राज.)

अपर सेशन न्यायाधीश
संख्या 03, भीलवाड़ा

भी उसके पति व उसके बच्चों के साथ कोई भी संगीन घटना कारित कर सकता है....इत्यादि।

06– उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना बिजौलिया जिला भीलवाड़ा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 150/26 अन्तर्गत धारा 64(1),308(2) भारतीय न्याय संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अब तक के अनुसंधान से प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध अपराध धारा 64(1),308(2) भारतीय न्याय संहिता का अपराध प्रमाणित मानकर प्रार्थी–अभियुक्त को दिनांक 10.06.2026 गिरफतार कर न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिजौलिया जिला भीलवाडा के समक्ष पेश किये जाने पर उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया एवं प्रार्थी–अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 480 बी.एन.एस.एस. दिनांक 11.06.2026 को खारिज किया गया।

07– अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से आरोपित अपराध में प्रार्थी–अभियुक्त की संलिप्तता प्रथम दृष्टया दर्शित है। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 10.6.2026 से निरंतर पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में है। यद्यपि प्रार्थी–अभियुक्त का पूर्व का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है परंतु आरोपित अपराध धारा 64 (1) भारतीय न्याय संहिता के तहत आजीवन कारावास से दण्डनीय होकर अनन्यतः सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है एवं गंभीर प्रकृति का है।

08– विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधुपर का न्यायिक **अनिल सोनी बनाम राजस्थान राज्य** ऐसे प्रकरण से संबंधित है जहां अभियुक्त को करीब दो माह न्यायिक अभिरक्षा में रहने के आधार जमानत का लाभ दिया गया है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी–अभियुक्त की अभिरक्षा की अवधि इतनी अधिक नहीं है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के न्यायिक दृष्टांत **श्रवणराम बनाम राजस्थान राज्य व अन्य** ऐसे प्रकरण से संबंधित है जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट से 4–5 वर्ष पूर्व पीड़िता के साथ बलात्संग किया गया था एवं पीड़िता के अभियुक्त से मोबाईल के जरिये निरंतर संपर्क में रहने का कोई युक्तियुक्त स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था।

माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **प्रमोद सूर्यभान**

अपर सेशन न्यायाधीश
संख्या 03, भीलवाड़ा

पंवार बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य तथा **डॉ0 धुर्वोराम मुरलीधर सोनार बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य** ऐसे प्रकरणों से संबंधित हैं जहां पुरानी जान–पहचान होने पर विवाह के प्रस्ताव की आड़ में बलात्संग किया गया था।

हस्तगत प्रकरण उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों में वर्णित तथ्यों–परिस्थितियों से भिन्न हैं। अतः उक्त न्यायिक दृष्टांत इस प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु प्रार्थी–अभियुक्त को को सहायता प्रदान नहीं करते हैं।

09– अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार आरोपित अपराध की गंभीरता तथा प्रार्थी–अभियुक्त की प्रथम दृष्टया आरोपित अपराध में संलिप्तता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित नहीं पाया जाता है।

:: आदेश ::

10– अतः प्रार्थी/अभियुक्त **लखन बारेठ पुत्र शिवराज बारेठ** की ओर से प्रस्तुत जमानत का यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

(नगेन्द्र सिंह)
अपर सेशन न्यायाधीश
संख्या 03, भीलवाड़ा

11– आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 25–06–2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नगेन्द्र सिंह)
अपर सेशन न्यायाधीश
संख्या 03, भीलवाड़ा